न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 27/13 तारीख रजू:– 03.07.2013

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

उनवान

धनसी पि.मु. सुन्दर मीना निवासी सांकरवाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

वादी

बनाम

1. भरतलाल पुत्र खिलाडी
2. अशोक पि. भरतलाल
3. मनोज पि. भरतलाल
   जातियान मीना निवासीयान सांकरवाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।
4. तहसीलदार टोडाभीम।

प्रतिवादीगण

दावा बावत स्थाई निषेधाज्ञा/इनमेन्डेटरी फर्म
उपस्थिति:– श्री रामअवतार शर्मा एडवोकेट (वादी)
श्री हंसराम गूर्जर एडवोकेट (प्रतिवादीगण 1 ता 3)

मु0न0 21/16 तारीख रजू:–21.3.16

उनवान

भरतलाल पुत्र खिलाडी मीना निवासी सांकरवाडा तहसील टोडाभीम।

वादी

बनाम

1. धनसी पि0मु0 सुन्दर मीना निवासी सांकरवाडा तहसील टोडाभीम।
2. तहसीलदार टोडाभीम।

प्रतिवादीगण

दावा बावत घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा
उपस्थिति:– श्री हंसराम गूर्जर एडवोकेट(वादी)
श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट (प्रतिवादी न0 1)

निर्णय दिनांक 11.11.2019

दोनों प्रकरण एक समान आराजीयात के होने के कारण एक साथ निर्णय किया जा रहा है।

प्रकरण संख्या 27/13 मे संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम गहरौली स्थित आराजी ख0न0 238/0.35, 239/0.18 गै0मु0नाला, 241/0.29 है0 गै0मु0 सडक कुल किता 3 कुल रकवा 0.82 है0 जो कि वादी की खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है। आराजी ख0न0 241 मे गै0मु0सडक निर्मित हो चुकी है। जिससे वादी का कोई संबध नही रहा है। ख0न0 239 गै0मु0 नाला वादी की खातेदारी की आराजी है। आराजी ख0न0 238 रकवा 0.35 है0 वादी के कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि है उक्त आराजी से वादी के अलावा प्रतिवादीगण व किसी अन्य व्यक्ति का कोई संबध आज दिन तक नही रहा है और नाही आज है। प्रतिवादीगण लठैत मुठमर्द तथा गिरोहबंद व्यक्ति है जिन्होने एक गिरोह गठित कर रखा है तथा वे येन–केन प्रकारेन गरीब व्यक्यिो की भूमि पर कब्जा करते रहते है तथा अब उनकी नियत वादी के खेत ख0न0 238 पर गढी हुई तथा वे येन केन प्रकारेन वादी की भूमि पर कब्जा करना चाहते है। बॉका दिनांक 10.5.13 का है वादी अपनी आराजी की देखभाल कर रहा था कि प्रतिवादीगण अपने साथ कुछ मजदूरो को लेकर आये तथा नाप तोल करने लगे वादी द्वारा पूछने पर कहने लगे कि तुमने सरकारी जमीन ख0न0 237 को खातेदारी मे मिला कर कब्जा कर रखा है। इसलिये हम इसमे

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

दुकान बनायेगे वादी द्वारा उन्हे समझाया कि भाईयो ऐसा क्यो करते हो ये मेरी खातेदारी की व कब्जे काश्त की भूमि है तुम मुझे क्यो परेशान करते हो, अगर मैने सरकारी भूमि को दबा रखा हो तो तुम नप वालो, मै छोडने को तैयार हूँ। फिर तुम सरकारी भमि का चाहे जो करना इतना सुनते ही प्रतिवादीगण नाराज हो गये तथा गाली गलौच करने लगे कि तुमसे बने जो कर लो हम तो यहीं दुकान बनाकर रहेगे तथा नीव खौद कर नीव भर दी। प्रतिवादीगण निर्माण करने से नही रूके तथा जबरदस्ती दुकान निर्मित करा दी, और आराजी को नाकाबिल काश्त बना दिया और कहने लगे कि हमने तो सरकारी आराजी ख0न0 237 पर निर्माण किया है जिस पर तुमने ज्यादा कब्जा कर रखा था वादी द्वारा पटवारी हल्का से आराजी को नपवाया तो उक्त दुकाने वादी की भूमि ख0न0 238 मे निर्मित है तथा प्रतिवादी से दुकाने हटाने की समस्त आराजी पर कब्जा करने की धमकी देते है। इस प्रकार प्रतिवादीगण अपनी इस गैर कानूनी कुचेष्ठा मे कामयाब हो गये तथा वादी की आराजी मे बनायी दुकाने नही हटायी तथा समस्त आराजी पर कब्जा कर लिया तो वादी को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी। इसलिये यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को इन मेन्डेटरी पाबन्द फरमाया जावे कि वे आराजी ख0न0 238 रकवा 0.35 है0 ग्राम गहरौली तहसील टोडाभीम मे बिना अधिकार के बनायी दुकाने के खर्चे से हटाले अन्यथा उन्हे ध्वस्त किया जावे। तथा प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी की आराजी ख0न0 238 पर जबरदस्ती कब्जा नही करे। वादी का बेदखल नही करे, आराजी को खुर्द–बुर्द नही करे, आरजी को नाकाबिल काश्त नही बनावे, ऐसा कोई कार्य ना तो स्वंय करे और नाही किसी अन्य से करावे।

अतः दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी न0 4 बावजूद सूचना के उपस्थित नही इसलिये इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण 1 ता 3 की ओर से श्री हंसराम गूर्जर एडवोकेट उपस्थित हुये। तथा जबाब प्रस्तुत किया कि आराजी ख0न0 238 रकवा 0.35 है0 प्रतिवादी न0 1 ता 3 के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है। उक्त आराजी को आज से करीब 20–25 वर्ष पूर्व वादी ने प्रतिवादी न0 1 को बदले मे दे दिया था तभी से आज तक प्रतिवादीगण उक्त भूमि को बहैसियत काश्त करते चले आ रहे है। तथा इस भूमि मे आज से करीब 10 वर्ष पूर्व प्रतिवादीगण ने दो दुकाने (कमरा) बना रखे है। तथा दो दुकानो की नीव भर रखी है। तथा पानी का कुण्डा बना हुआ है इस भूमि से वादी का कोई सरोकार नही है। तथा वादपत्र मे वर्णित अन्य समस्त तथ्य असत्य एवं कपोल कल्पित है। वादी किसी प्रकार की रिलीफ पाने का अधिकारी नही है दावा खारिज फरमाया जावे।

मु0न0 / 21 / 2016 तारीख रजू:– 21.03.2016

यह है कि ग्राम गहरौली की भूमि ख0न0 238 रकवा 0.35 है0 की खातेदारी वर्तमान रिकार्ड मे प्रतिवादी न0 1 के नाम है। जबकि यह भूमि वादी के कब्जे काश्त की भूमि है। उक्त भूमि को आज से करीब 20–25 वर्ष पूर्व प्रतिवादी धनसी को वादी ने बदले मे दे दिया तभी से वादी बहैसियत खातेदार काश्त करता चला आ रहा है। इस भूमि मे आज से करीब 12 वर्ष पूर्व वादी ने दो दुकाने (कमरा) बना रखे है और दो दुकानो की नीव भर रखी है। तथा पानी का कुण्डा बना रखा है इस भूमि से प्रतिवादीगण या अन्य किसी व्यक्ति का लेना देना नही है वादी को लोन्गटर्म पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। तथा कानूनन वादी अपने हक मे खातेदारी कराने का हकदार है। बॉका दिनांक 15.03.2016 का है कि वादी अपनी भूमि की देखभाल कर रहा था कि प्रतिवादी हाथ मे लाठी लेकर आया ओर कहने लगा कि उक्त भूमि से अपना कब्जा हटा ले तथा मे इस भूमि पर कब्जा करूगा और अन्य व्यक्ति को रहन व्यय करूगां। वादी ने प्रतिवादी को काफी समझाया लेकिन वह नही माना इस कारण दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

अतः दावा वादी खिलाफ प्रवितादीगण डिक्री किया जाकर आराजी ख0न0 238 रकवा 0.35 है0 ग्राम गहरौली का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादी को बेदखल नही करे। और भूमि का रहन व्यय नही करे।

दोनो प्रकरणो मे समान आराजीयात होने के कारण हमफीता करते हुये तनकीयात निम्न प्रकार कायम की गई:-

तनकी न0 1:- आया यह है कि ग्राम गहरौली की भूमि मद न0 1 मे वर्णित भूमि की खातेदारी वादी के नाम है ख0न0 241/0.29 मे सडक निर्मित हो चुकी है। ख0न0 239/0.18 गै0मु0 नाला है। एवं ख0न0 238/0.35 वादी के कब्जेकाश्त की भूमि है प्रतिवादीगण का इस भूमि से कोई संबध नही है।

(जिम्मेवादी)

तनकी न0 2:- प्रतिवादीगण ने जबरदस्ती दो दुकाने निर्मित करा दी है। नाकाबिल काश्त बना दिया है। प्रतिवादी समस्त भूमि पर कब्जा करने की धमकी देते है। इसलिये प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के हकदार है।

(जिम्मेवादी)

तनकी न0 3:- आया यह है कि ख0न0 238 रकवा 0.35 है प्रतिवादी न0 1 ता 3 की कब्जे काश्त की आराज है 20-25 वर्ष पहले वादी ने प्रतिवादी न0 1 को यह भूमि बदले मे दे दी थी। 10 वर्ष पूर्व दो दुकाने बना रखी है दो दुकानो की नीव भर रखी है। वादी का इस भूमि से कोई सरोकार नही है। दावा खारिज कराने के अधिकारी है।

(जिम्मे प्रतिवादी 1 ता 3)

वादी धनसी ने वादपत्र मे ग्रम गहरौली की नकल जमाबन्दी सम्वत 2064-67 प्रदर्श-1, नकल जमाबन्दी सम्वत 2064-67 प्रदर्श-2, एवं शपथ पत्र पेश किये। प्रतिवादीगण की ओर से न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट टोडाभीम मे प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट न0 263/2014 थाना टोडाभीम मे एफ.आर न0 107/14 की प्रति एवं नकल फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 10.02.2014 प्रस्तुत की है।

वादी वकील ने अपनी बहस मे कथन किया कि ग्राम गहरौली की आराजी ख0न0 241/0.29 मे तो सडक निर्मित हो चुकी है ख0न0 239/0.18 गै0मु0 नाला है। ख0न0 238 रकवा 0.35 है0 वादी की खातेदारी मे है। कब्जे काश्त की आराजी है। प्रतिवादी द्वारा बिना अधिकार के बनाई गई दुकाने स्वंय के खर्चे से हटाने के आदेश फरमावे। तथा प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि वादी आराजी ख0न0 238 पर जबरदस्ती कब्जा नही करे। वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस मे कथन किया कि आराजी ख0न0 238 रकवा 0.35 है0 धनसी ने प्रतिवादी न0 1 को करीब 20-25 वर्ष पूर्व बदले मे दे दिया था। तब से ही प्रतिवादी काबिज है दुकानो का निर्माण कर रखा है दो दुकानो की नीव भरी हुई है। वादी का इस भूमि से किसी प्रकार का कोई संबध किसी प्रकार नही रहा है। वादी का दावा खारिज फरमाया जावे तथा उनवानी दावा भरतलाल बनाम धनसी डिक्री फरमाकर भरतलाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर धनसी पाबन्द फरमाया जावे कि कब्जे काश्त की आराजी मे दखलन्दाजी नही करे, एवं रहन व्यय नही करे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। दोनो प्रकरणो को हमफीता कर कायम की गई तनकीयात का निर्णय तनकीवार इस प्रकार है:-

तनकी न0 1,2 व 3 :- तनकी न0 1 व 2 को साबित करने का भार वादी पर होने व तनकी न0 3 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर होने से व उक्त तनकी एक-दूसरे से संबधित होने के कारण उक्त तनकीयो का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। दौराने बहस वकील वादी का कथन रहा कि ग्राम गहरौली की भमि ख0न0 241/0.29 मे सडक निर्मित हो चुकी है। तथा ख0न0 239/0.18 किस्म गै0मु0 नाला है उक्त नम्बरान मे कोई विवाद नही है। विवादग्रस्त आराजी ख0न0 238/0.35 है0 भूमि का ही है वाद पत्र मे भी वादी वकील द्वारा ख0न0 238/0.35 बावत की अनुतोष चाहा है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2064-67 ग्राम गहरौली अनुसार ख0न0 238/0.35, 239/0.18, 241/0.29 की खातेदारी

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

धनसी पि0मु0 सुन्दर जाति मीना निवासी सांकरवाडा के नाम दर्ज है। वादी ने अपने वादपत्र मे वर्णित किया है कि प्रतिवादीगण ने दो दुकानो का निर्माण कर लिया है तथा दो दुकानो की नीव भर रखी है। प्रतिवादी वकील द्वारा आराजी ख0न0 238/0.35 बावत पुलिस थाना टोडाभीम द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश क.ख. (एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट) टोडाभीम मे प्रस्तुत अंतरिम रिपोर्ट कमांक 107/14 व माननीय न्यायालय की आदेशिका पेश की है। उक्त अंतरिम रिपोर्ट मे यह उल्लेख किया गया है कि धनसी मीना व भरतलाल मीना ने अपने–अपने खेतो का सुविधाअनुसार अदला–बदली कर ली है तथा ख0न0 238 धनसी द्वारा भरतलाल को दे दी गई है जिसमे दो कमरे व पानी का कुण्डा है। इसी प्रकार पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट 10.2.14 के अनुसार ख0न0 238 बावत प्रकरण अदला–बदली का बताया गया है। अतः स्पष्ट है वादपत्र मे वणिर्त आराजीयात ख0न0 238/0.35 पर वादी घनसी का कब्जा नही है। तथा बिना कब्जे के वादी प्रतिवादी को कानूनन स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही करवा सकता। अतः उक्त 1 व 2 तनकीयात बखिलाफ वादी निर्णित की जाती है।

दौराने बहस प्रतिवादी वकील ने उनवानी प्रकरण भरतलाल बनाम धनसी मे आराजी ख0न0 238/0.35 है0 का लोंगटर्म पेजशन के आधार पर एवं कब्जा काश्त के अनुसार खातेदार घोषित करने का कथन किया है। इस ख0न0 की खातेदारी धनसी पि0मु0 सुन्दर के नाम रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2064–67 प्रदर्श–1 के अनुसार है। तथा पत्रावली मे प्रस्तुत एफ.आर. 107/14 के अलावा अन्य कोई भूमि की अदला–बदली हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया। जिससे प्रतिवादी भरतलाल के हक मे ख0न0 238 की खातेदारी दी जा सके। अर्थात प्रतिवादी भरतलाल लोंगटर्म पजेशन बावत कोई मजबूत दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने मे असफल रहा है। अतः उक्त तनकी बखिलाफ प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार दावा मु0न0 27/13 उनवानी धनसी बनाम भरतलाल एवं मु0न0 21/16 उनवानी भरतलाल बनाम धनसी खारिज किये जाते है। निर्णय की प्रति उक्त दोनो उनवानी प्रकरणो मे शामिल रहे। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

11/11/19

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोडाभीम जिला करौली

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम जिला–करौली (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2019.12.04 15:20:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: